भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4490
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पायलटों की थकान और विमानन संरक्षा

4490. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कोविड-19 के बाद पायलटों को प्रतिदिन चार लैंडिंग तक का काम सौंपा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ड्यूटी अवधि 12-13 घंटे की हो गई है, जिसमें 10 घंटे तक की फ्लाईंग ड्यूटी भी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलट की थकान और विमानन संरक्षा पर ऐसे विस्तारित ड्यूटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पायलटों द्वारा एयरलाइनों और डीजीसीए के समक्ष थकान से संबंधित कितनी शिकायतें दर्ज कराई गईं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार ने पायलटों, विशेषकर छोटी दूरी की अंतरराष्ट्रीय विमानों का संचालन करने वाले पायलटों के लिए पर्याप्त विश्राम अवधि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं जहां होटल में आराम करने की सुविधा कथित रूप से समाप्त कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड-7, श्रृंखला-जे, भाग-III, अंक-III दिनांक 24 अप्रैल, 2019 के पैरा 6.1 और 7.1 के अनुपालन में एयरलाइनों की अनुमोदित "ड्यूटी अवधि, उड़ान ड्यूटी अवधि, उड़ान समय सीमाएं और निर्धारित विश्राम अवधि" योजना के अनुसार पायलटों को उड़ानें सौंपी जाती हैं, जो निर्धारित सीमा के भीतर होती हैं।

चार लैंडिंग के लिए, अधिकतम उड़ान समय 8 घंटे है और अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि 12 घंटे है;

उड़ान समय, उड़ान ड्यूटी अवधि और लैंडिंग को केवल अप्रत्याशित परिचालन परिस्थितियों के कारण सीएआर7/जे/III अंक–III दिनांक 24 अप्रैल, 2019 के पैरा 16.1 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में, पायलटों को अतिरिक्त विश्राम प्रदान किया जाता है।

थकान संबंधी मुद्दों को एयरलाइनों द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2019 के सीएआर 7/जे/III अंक–III के पैरा 17 के अनुसार 18 माह की अवधि के लिए रखा जाता है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नियमित ऑडिट, निगरानी और औचक जांच के दौरान इनकी समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) जी हां, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 के सीएआर 7/जे/III अंक–III के पैरा 10 में निर्धारित अनुसार न्यूनतम विश्राम अवधि सुनिश्चित की गई है, जिसमें छोटी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। जहां भी नियमानुसार प्रावधान किया गया है, वहां होटल में विश्राम की सुविधा नहीं हटाई गई है।

******